शीतभंडार-गृहों की अपर्याप्तता और उससे संबद्ध उद्योगों के अभाव के कारण प्रति वर्ष अत्यधिक हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नुकसान से बचने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही की है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शीत-गृहों के निर्माण और आलू के भंडारण के लिए यथेष्ट सुविधाएं सुलभ कराने के संबंध में सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) 31-12-1986 को देश में उपलब्ध सम्पूर्ण शीत भण्डागारों की क्षमता 54.02 लाख मीटरी टन थी, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश राज्य के 739 शीत भण्डागारों की क्षमता 23.10 लाख मीटरी टन आंकी गई । शीत भण्डागार निजी पार्टियों, सहकारी समितियों तथा अन्यों के द्वारा स्थापित किये जाते हैं ; सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकार के लिए आर्थिक व्यवहायता के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपयुक्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से उत्तर प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में 1.18 लाख मीटरी टन क्षमता वाले 31 नए शीत भण्डागार स्थापित किए गए। राज्य में अब 2.766 लाख मीटरी टन क्षमता वाले कुल 93 सहकारी शीत भण्डागार हैं। उत्पादकों द्वारा की जा रही कम बिक्री के समाधान के लिए राज्य में आलू से सम्बन्धित बाजार हस्तक्षेप संबंधी एक स्वीकृत योजना भी चल रही है ।

Promotion of assistant attendants of DMS

1106. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Sales Assistant/Attendants in Delhi Milk Scheme with service of 14 years or more are stagnating in the same cadre; and

(b) if so, what action is contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) Nine Sales Attendants/Assistants have completed 14 or more years of service. As the scheme of selection grade has been abolished, no selection grade appointment can be made in the cadre of Sales Assistants/Attendants.

दिल्ली प्रशासन के खाद्य और संभरण विभाग के निरीक्षकों की पदोन्नति

1107. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और संभरण विभाग के निरीक्षकों की पदोन्नति में पिछले 10-15 वर्षों से लगातार गतिरोध चलता आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक का पद दिल्ली प्रशासन के डी० ए० एस० एस० संवर्ग का ग्रेड-II पद है, जिसमें 1400-2300 रुपये के वेतनमान में दिल्ली प्रशासन के निरीक्षक/हैड क्लर्क/सहायक भी शामिल हैं। 1986 तक, ग्रेड-II में पदोन्नति के लिए 14 से 17 वर्षों की सेवा तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । तथापि, 1987 में ग्रेड-I के 108 नये पद सृजित करने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।